FIN1/42/2023-XXVII-1-Finance Department 5-63835

I/226838/2024

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग – 1 देहरादून, दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषयः– वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाना सम्भावित है। इसके दृष्टिगत विभागवार अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। यह सूच्य है कि किसी अनुदान संख्या के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाली बचतें भी पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय करने हेतु उपलब्ध रहती हैं और बचतों की उपलब्धता होते हुए अनुपूरक बजट की व्यवस्था कराना ऑडिट की दृष्टि से आपत्तिजनक है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विनियोग की सम्भावना न होने पर ही व्यय एवं बचत की सूचना (बी.एम.–8) सहित मात्र वेतन, आकस्मिकता निधि प्रतिपूर्ति, केन्द्र सहायतित योजनाओं, वाह्य सहायतित योजनाओं, वचनबद्ध व्यय, मा. मुख्यमंत्री घोषणा एवं राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी योजना/कार्य हेतु ऐसी धनराशि, जिसे चालू वित्तीय वर्ष की अवशेष अवधि में व्यय कर लिये जाने के प्रति विभाग वचनबद्धता व्यक्त कर सके, हेतु प्रथम अनुपूरक मांग हेतु प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग के सचिव स्तर से IFMS Software पर स्पष्ट औचित्य के साथ अपलोड करते हुए Offline Mode में हॉर्ड कॉपी के माध्यम से दिनांक 05.08.2024 तक वित्त विभाग/बजट निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– भारत सरकार द्वारा दिनांक 23/07/2024 को केन्द्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कतिपय नई CSS योजनाओं जैसे Skill Development आदि के लिए बजट प्रावधान किया गया है। विभाग तदनुसार अनुपूरक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

4– कतिपय विभागों में परिसम्पत्तियों/ पूर्व में किए गए निर्माण के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है।अतः यह आपेक्षित है कि संबंधित विभाग मानक के अनुरूप अनुरक्षण मद में आवश्यक धनराशि तथा वित्तीय–वर्ष 2024–25 के शेष माह में अनुरक्षण मद में नियमानुसार व्यय करने की क्षमता के दृष्टिगत अनुरक्षण मद के सापेक्ष अनुपूरक मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

उक्त के आलोक में दिनांक 12/08/2024 से 14/08/2024 तक विभाग–वार समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, जिसका कार्यक्रम पृथक से जारी किया जाएगा।

भवदीय

Signed by Dilip Jawalkar
Date: 23-07-2024 16:06:38
(दिलीप जावलकर)
सचिव

संख्या :226838/08(150)2015/XXVII(1)/2024 एवं तददिनांकित।

Scanned with OKEN Scanner

FIN1/42/2023-XXVII-1-Finance Department

6838/2024

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें को इस आशय से प्रेषित कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुपूरक बजट हेतु IFMS Software में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
6. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड।

(दिलीप जावलकर)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner